ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ आंध्र प्रदेश लिमिटेड और अन्य

बनाम

मेसर्स जी0 एम 0 आर 0 वेमागिरी पावर जेनरेशन लिमिटेड और अन्य

16 फ़रवरी 2018

[आर 0 एफ 0 नरीमन और नवीन सिन्हा, न्यायमूर्तिगण]

अनुबंध - बिजली खरीद समझौता (पीपीए) - की व्याख्या - अपीलकर्ता के पूर्ववर्ती, आंध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड ने 1995 में शॉर्ट गेस्टेशन गैस/नेफ्था/ईंधन तेल आधारित बिजली स्टेशनों की स्थापना के लिए निविदाएं आमंत्रित की थीं - प्रत्यर्थी एक सफल बोली लगाने वाला था और उसने बोली लगाई थी एक बिजली उत्पादन संयंत्र स्थापित किया- उसी के अनुसरण में, 31.03.1997 को पक्षकारों के बीच एक पीपीए निष्पादित किया गया था जिसके तहत नेफ्था प्राथमिक ईंधन था और गैस एक वैकल्पिक ईंधन था - 2003 में, पीपीए में संशोधन किया गया था जिससे गैस को प्राथमिक ईंधन और नेफ्था को एक वैकल्पिक इंधन बनाया गया था - पीपीए में 2007 में और संशोधन किया गया, जिसमें 'ईंधन' शब्द को केवल 'प्राकृतिक गैस' तक सीमित कर दिया गया - प्रत्यर्थी ने बिजली पैदा करने के लिए ईंधन के रूप में रीगैसीफाइड तरलीकृत प्राकृतिक गैस (आर.एल.एन.जी.) का उपयोग करने की अनुमति मांगी थी क्योंकि आर.एल.एन.जी. प्राकृतिक गैस का एक रूप है - क्या पीपीए के खंड में प्रयुक्त 'ईंधन' शब्द का अर्थ 'केवल प्राकृतिक गैस' है या इसमें आर.एल.एन.जी. शामिल है - अभिनिर्धारित - किसी भी अस्पष्टता के उत्पन्न होने की स्थिति में, पक्षकारों के वास्तविक इरादे तक पहुंचने के लिए, आदान-प्रदान किए गए पत्राचार सहित सभी आसपास के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अनुबंध की शर्तों की व्याख्या करनी होगी, न कि इस आधार पर कि पक्षकरों में से किसी एक पक्ष द्वारा बाद में यह कहना कि उसका ऐसा आशय था और यह कहना कि यह शामिल था - अपीलकर्ता को प्रत्यर्थी के पत्र विशेष रूप से आर.एल.एन.जी. का उपयोग करने की अनुमति के लिए अनुरोध करते हैं गैस में कमी को पूरा करने के लिए, इसके उपयोग को स्वीकार करने का अनुरोध - अपीलकर्ता ने अपने उत्तर में स्पष्ट रूप से कहा कि समझौते के तहत प्राकृतिक गैस को छोड़कर किसी अन्य ईंधन का उपयोग नहीं किया जा सकता है और ईंधन की परिभाषा में आर.एल.एन.जी. पर कभी विचार नहीं किया गया था, जिसके लिए स्पॉट सप्लाई समझौते को स्वीकार करने से इंकार कर दिया गया था।

आर.एल.एन.जी. आपूर्ति, उसी (आर.एल.एन.जी.) से प्रति यूनिट बिजली की लागत का हवाला देते हुए प्राकृतिक गैस से प्रति यूनिट लागत की तुलना में अधिक महंगी है - इसलिए, समय-समय पर संशोधित समझौते के तहत पक्षकारों का आशय समुचित दर के इंधन से बिजली उत्पन्न करना था ताकि अंततः उपभोक्ताओं को उचित दर पर बिजली उपलब्ध हो सके - प्राकृतिक गैस के रूप में ईंधन का विकल्प केवल प्राकृतिक गैस तक ही सीमित समझा जाना चाहिए - प्रत्यर्थी अच्छी तरह से जानता था पक्षकारों द्वारा समझी गई प्राकृतिक गैस की परिभाषा में आर.एल.एन.जी. को शामिल करने का आशय कभी नहीं था, भले ही प्राकृतिक गैस का एक प्रकार हो सकता है - पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 की धारा 2 (za) (i)

विलेख और दस्तावेज़ - वाणिज्यिक दस्तावेज़ - की व्याख्या - अभिनिर्धारित - एक वाणिज्यिक दस्तावेज़ की व्याख्या इस तरह से नहीं की जा सकती जो पक्षकारों के मूल आशय से पूर्ण भिन्नता की ओर अग्रसर हो - ऐसी स्थिति पर केवल तभी विचार किया जा सकता है जब निहित शब्द अनुबंध की शर्तों को प्रभावकारिता प्रदान करने के लिए आवश्यक हों - यदि अनुबंध पक्षकारों के वास्तविक आशय के संबंध में अपने स्पष्ट अर्थ पर व्याख्या करने में सक्षम है, तो किसी पक्षकार की समझ पर निहित शर्तों को पढ़ना विवेकपूर्ण नहीं होगा, या न्यायालय द्वारा व्यावसायिक प्रभावकारिता के संबंध में ।

कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित किया-

अभिनिर्धारितः 1. यह किसी अनुबंध की व्याख्या करने का एक सुरक्षित तरीका नहीं होगा कि परिभाषित ईंधन के एक खंड को चुनकर, उसमें एक तकनीकी वैज्ञानिक अर्थ लागू करें और फिर निष्कर्ष निकालें कि प्राकृतिक गैस का एक रूप होने के नाते, रिगैसीफाइड तरलीकृत प्राकृतिक गैस (आर.एल.एन.जी.) को ईंधन की परिभाषा में निहित रूप से शामिल करने का आशय था। अनुबंध की शर्तों को पक्षकारों के आशय के संबंध में उनका स्पष्ट अर्थ दिया जाना चाहिए कि क्या शामिल करने का इरादा था और क्या शामिल करने का इरादा नहीं था, जो कि एक स्पष्ट बहिष्करण से अलग है। व्यावसायिक बोलचाल की भाषा का परीक्षण भी करना होगा कि क्या व्यवसाय से जुड़े लोग गैस के दो रूपों को पर्यायवाची और विनिमेय मानते हैं। आर.एल.एन.जी. के आयात, इसमें शामिल अतिरिक्त प्रक्रियाओं और परिणामस्वरूप शामिल उच्च लागत को देखते हुए स्पष्ट रूप से उत्तर नकारात्मक होना चाहिए। [पैरा 19]

2. किसी भी अस्पष्टता के उत्पन्न होने की स्थिति में, पक्षकारों के वास्तविक इरादे तक पहुंचने के लिए, आदान-प्रदान किए गए पत्राचार सहित सभी आसपास के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अनुबंध की शर्तों की व्याख्या करनी होगी, न कि इस आधार पर कि पक्षकरों में से किसी एक पक्ष द्वारा बाद में यह कहना कि उसका ऐसा आशय था और यह कहना कि यह शामिल था। [पैरा 20]

बैंक ऑफ इंडिया एवं अन्य. विरुद्ध के. मोहनदास एवं अन्य (2009) 5 एससीसी 313: [2009] 5 एससीआर 118 - पर निर्भर।

3. प्रत्यर्थी के दिनांक 07.08.2012 और 27.08.2012 के पत्र इस समझ के लिए अत्यंत प्रासंगिक हो जाते हैं कि यह स्वयं किसी गलतफहमी में नहीं था कि आर.एल.एन.जी. को अनुबंध के तहत प्राकृतिक गैस की परिभाषा में शामिल करने का कभी आशय नहीं था। प्रत्यर्थी ने केजी-डी6 बेसिन से गैस की कमी को पूरा करने के लिए आर.एल.एन.जी. का उपयोग करने की अनुमति मांगी और इसके उपयोग को स्वीकार करने का अनुरोध किया। प्रत्यर्थी का यह तर्क कि ये केवल सूचनाएं थीं और आर.एल.एन.जी. का उपयोग करने की अनुमति के लिए अनुरोध नहीं था, उनमें इस्तेमाल की गई स्पष्ट भाषा से झुठलाया गया है। अपीलकर्ता ने अपने उत्तर दिनांक 10.09.2012 में स्पष्ट रूप से कहा कि समझौते के तहत प्राकृतिक गैस के अलावा किसी अन्य ईंधन का उपयोग नहीं किया जा सकता है और लागत प्राकृतिक गैस से 3/- रुपये प्रति यूनिट की तुलना में उसी से प्रति यूनिट बिजली 9-10 रुपये में मिलती है, का हवाला देते हुए आर.एल.एन.जी. आपूर्ति के लिए स्पॉट सप्लाई समझौते को स्वीकार करने से इनकार करते हुए ईंधन की परिभाषा में आर.एल.एन.जी. पर कभी विचार नहीं किया गया था। इसके बाद ही प्रत्यर्थी आयोग गया। प्रत्यर्थी की दलीलें उसकी अपनी समझ की पुष्टि करती हैं कि आर.एल.एन.जी. को कभी भी ईंधन की परिभाषा में शामिल करने का इरादा नहीं था जो प्राकृतिक गैस तक ही सीमित था। [पैरा 21]

4. बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 11 के तहत उचित आदेशों के बाद, छोटी अवधि के लिए, दबाव वाली परिस्थितियों में एक या दो अवसरों पर आर.एल.एन.जी. का छिटपुट उपयोग, इस अपवाद को मानक नहीं बना सकता है कि आर.एल.एन.जी. को ईंधन शब्द में शामिल किया गया था या कि अपीलकर्ता इसके उपयोग के लिए सहमत हो गया था। मामले के तथ्यों में अपीलकर्ता द्वारा छूट का सवाल या एप्रोबेट और रिप्रोबेट के सिद्धांत को लागू करने का सवाल ही नहीं उठता। [पैरा 22]

5. उचित कीमत के ईंधन से उत्पन्न बिजली की खरीद के लिए वर्तमान अनुबंध था ताकि उपभोक्ता के हित में उससे उत्पन्न बिजली की लागत को नियंत्रित रखा जा सके। निस्संदेह, अपीलकर्ता के मस्तिष्क में ईंधन की लागत एक प्राथमिक विचार था। जिस प्रासंगिक पृष्ठभूमि में पीपीए मूल रूप से बनाया गया था, उसके बाद के संशोधन, समझौते के प्रत्यर्थी की समझ, जैसा कि उसके स्वयं के संचार और अभिवचनों से परिलक्षित होता है, यह बेहद प्रासंगिक बनाता है कि इस सवाल की एक प्रासंगिक व्याख्या दी जाए कि क्या आर.एल.एन.जी. को कभी "प्राकृतिक गैस" शब्द के अंतर्गत शामिल करने का इरादा था। [पैरा 23]

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड बनाम ग्रीन रबर इंडस्ट्रीज, (1990) 1 एससीसी 731 : [1989] 2 पूरक एससीआर 275 - संदर्भित।

6. वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि आयोग के समक्ष प्रत्यर्थी द्वारा कार्यवाही शुरू करने तक अपने आचरण और व्यवहार से स्पष्ट था कि आर.एल.एन.जी. को पीपीए के तहत "प्राकृतिक गैस" शब्द में शामिल नहीं किया जाना था। [पैरा 24]

गेडेला सच्चिदानंद मूर्ति बनाम. उप. आयुक्त एन्डाउमन्ट विभाग, एपी एवं अन्य (2007) 5 एससीसी 677 : [2007] 6 एससीआर 762 - पर भरोसा किया गया।

7. एक वाणिज्यिक दस्तावेज़ की व्याख्या इस तरह से नहीं की जा सकती है कि पक्षकारों के मूल इरादे से पूरी तरह से भिन्न हो। ऐसी स्थिति पर केवल तभी विचार किया जा सकता है जब अनुबंध की शर्तों को प्रभावोत्पादक बनाने के लिए निहित शर्त को आवश्यक समझा जावे। यदि अनुबंध पक्षकारों के सच्चे इरादे के संबंध में अपने स्पष्ट अर्थ पर व्याख्या करने में सक्षम है, तो व्यावसायिक प्रभावकारिता के संबंध में किसी पार्टी की समझ या अदालत द्वारा निहित शर्तों को पढ़ना विवेकपूर्ण नहीं होगा। [पैरा 25]

सत्या जैन (मृत) द्वारा वारिसान एवं अन्य. अनीस अहमद रुश्दी (मृत) द्वारा वारिसाान एवं अन्य. (2013) 8 एससीसी 131 : [2013] 3 एससीआर 319 - पर निर्भर।

8. इसलिए, यह अपरिहार्य निष्कर्ष की ओर ले जाता है कि समझौते के तहत पक्षकारों का इरादा, समय-समय पर संशोधित, उचित मूल्य वाले ईंधन से बिजली उत्पन्न करना था, ताकि अंततः उपभोक्ताओं को उचित दरों पर बिजली उपलब्ध कराई जा सके। इसलिए, प्राकृतिक गैस के रूप में ईंधन का विकल्प केवल प्राकृतिक गैस तक ही सीमित समझा जाना चाहिए। प्रत्यर्थी अच्छी तरह से जानता था

कि आर.एल.एन.जी. को प्राकृतिक गैस की परिभाषा में शामिल करने का कभी इरादा नहीं था जैसा कि पक्षकारों ने समझा, भले ही यह प्राकृतिक गैस का एक प्रकार हो सकता है। [पैरा 27]

पॉलीमैट इंडिया (पी) लिमिटेड और अन्य बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य (2005) 9 एससीसी 174 : [2004] 6 पूरक एससीआर 535; टिम्बलो इरमाओस लिमिटेड, मार्गो बनाम जॉर्ज एनीबल माटोस सिकेरा और अन्य (1977) 3 एससीसी 474 : [1977] 2 एससीआर 451; सप्पानी मोहम्मद मोहिदीन और अन्य वी. आर. वी. सेथुसुब्रमनिया पिल्लई और अन्य, (1974) 1 एससीसी 615: [1974] 2 एससीआर 594; ट्रुटफ सेफ्टी ग्लास इंडस्ट्रीज बनाम बिक्री कर आयुक्त, उ.प्र. (2007) 7 एससीसी 242 : [2007] 8 एससीआर 860; भारत संघ बनाम मैसर्स डी. एन. रेवरी एंड कंपनी और अन्य (1976) 4 एससीसी 147 : [1977] 1 एससीआर 483; नाभा पावर लिमिटेड बनाम पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य (2017) एससीसी ऑनलाइन 1239; भारत एल्युमीनियम कंपनी बनाम कैसर एल्युमीनियम टेक्निकल सर्विसेज इंक., (2016) 4 एससीसी 126: [2016] 1 एससीआर 364; प्राकृतिक गैस एवं अन्य एसोसिएशन बनाम भारत संघ एवं अन्य (2004) 4 एससीसी 489 : [2004] 3 एससीआर 534; खरदाह कंपनी लिमिटेड बनाम रेमन एंड कंपनी (इंडिया) प्राइवेट, लिमिटेड [1963] 3 एससीआर 183 - संदर्भित।

केस संदर्भ

[2004] 6 पूरक एससीआर 535 पैरा 10 संदर्भित

[2007] 6 एससीआर 762 पैरा 10 पर निर्भर

[1977] 2 एससीआर 451 पैरा 10 संदर्भित

[1974] 2 एससीआर 594 पैरा 10 संदर्भित

[2007] 8 एससीआर 860 पैरा 10 संदर्भित

[1977] 1 एससीआर 483 पैरा 10 संदर्भित

[2016] 1 एससीआर 364 पैरा 10 संदर्भित

[2004] 3 एससीआर 534 पैरा 14 संदर्भित

[1963] 3 एससीआर 183 पैरा 18 संदर्भित

[2009] 5 एससीआर 118 पैरा 20 निर्भर

[1989] 2 पूरक एससीआर 275 पैरा 23 संदर्भित

[2013] 3 एससीआर 319 पैरा 25 निर्भर

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार:

सिविल अपील संख्या 8747/2014

अपील संख्या 222/2013 में विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण के निर्णय और आदेश दिनांक 30.06.2014 से उदभूत ।

अपीलार्थीगण की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता बसव प्रभु एस. पाटिल, सुश्री प्रेरणा सिंह, गुंटूर प्रभाकर, गीत आहूजा

प्रत्यर्थीगण की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विकास सिंह, अमित कपूर, कु. अपूर्वा मिश्रा, कु. रवीना धमीजा, कु. दीपिका कालिया, कु. राहत शर्मा, शिव राम पांडे, पुखरामबम रमेश कुमार.

नवीन सिन्हा जे. 1. वर्तमान अपील में निर्धारण के लिए विवाद यह है कि क्या बिजली खरीद समझौते (इसके बाद 'पीपीए' के रूप में संदर्भित) के खंड 1.1.27 में प्रयुक्त 'ईंधन' शब्द का अर्थ "केवल प्राकृतिक गैस" है या इसमें रिगैसीफाइड तरलीकृत प्राकृतिक गैस (इसके बाद 'आर.एल.एन.जी.' के रूप में संदर्भित) भी शामिल है

2. आंध्र प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (इसके बाद "आयोग" के रूप में संदर्भित), 2013 के ओपी संख्या 20 दिनांक 08.08.2013 में जिसे प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया, में यह माना गया कि पीपीए में प्रयुक्त 'ईंधन' शब्द का अर्थ प्राकृतिक गैस है और वह भी अपने प्राकृतिक रूप में और इसमें आर.एल.एन.जी. शामिल नहीं है। सिर्फ इसलिए कि प्राकृतिक गैस और आर.एल.एन.जी. की भौतिक संरचना समान है, यह अपने आप में प्रत्यर्थी को आर.एल.एन.जी. के साथ बिजली उत्पन्न करने का अधिकार नहीं देता है, जो कि अधिक महंगा था और घरेलू स्तर पर उपलब्ध नहीं था, जिससे इसके द्वारा उत्पन्न बिजली की प्रति यूनिट आपूर्ति प्रभावित होती तथा उपभोक्ता को अधिक भुगतान करना होता।

3. प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत 2013 की अपील संख्या 222 में, अपीलीय न्यायाधिकरण ने दिनांक 30.06.2014 के आक्षेपित आदेश द्वारा माना कि पीपीए दिनांक 02.05.2007 में "प्राकृतिक गैस" के बाद "केवल" शब्द का उपयोग पीपीए में शामिल अन्य वैकल्पिक ईंधन जैसे नेफ्था आदि को हटाने के संदर्भ में, समझा जाना चाहिए जो कि पूवर् के पीपीए में था और आर.एल.एन.जी. को बाहर करने के लिए

प्राकृतिक गैस शब्द के अर्थ को प्रतिबंधित करने का कभी इरादा नहीं था, जो प्राकृतिक गैस का एक प्रकार था और वैकल्पिक ईंधन की श्रेणी में नहीं आता था। इसने आगे कहा कि आर.एल.एन.जी. की ऊंची कीमत इसे समझौते से बाहर करने का निर्धारक कारक नहीं हो सकती क्योंकि गैस की कीमत में कोई भी वृद्धि स्वीकार्य जोखिम थी, खासकर केजी-डी6 बेसिन से प्राकृतिक गैस की अनुपलब्धता को देखते हुए। आर.एल.एन.जी. के उपयोग को पहले भी पीपीए में बिना किसी संशोधन के अनुमति दी गई थी।

4. अपीलकर्ता के पूर्ववर्ती, आंध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड ने मई, 1995 में आंध्र प्रदेश राज्य में बिजली की मांग और आपूर्ति के अंतर को पाटने के लिए शॉर्ट गेस्टेशन गैस/नेफ्था/ईंधन तेल आधारित बिजली स्टेशनों की स्थापना के लिए निविदाएं आमंत्रित की। उसी के अनुसरण में, 31.03.1997 को पक्षकारों के बीच एक पीपीए निष्पादित किया गया था जिसके तहत नेफ्था प्राथमिक ईंधन था और गैस एक वैकल्पिक ईंधन था। नेफ्था की ऊंची कीमत को देखते हुए मार्च 2000 में आंध्र प्रदेश सरकार ने गैस को प्राथमिक ईंधन बनाने का फैसला किया। पेट्रोलियम मंत्रालय ने 05.06.2000 को भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड (गेल) के माध्यम से केजी-डी6 बेसिन से प्रत्यर्थी को 1.64 एमएमएससीएमडी प्राकृतिक गैस आवंटित की, जिससे प्रत्यर्थी और दूसरे पक्ष के बीच दिनांक 31.08.2001 को गैस आपूर्ति समझौता हुआ। पीपीए को तदनुसार 18.06.2003 को संशोधित किया गया, जिससे गैस को प्राथमिक ईंधन और नेफ्था को वैकल्पिक ईंधन बनाया गया। पीपीए में 02.05.2007 को एक और संशोधन किया गया, जिसमें 'ईंधन' शब्द को "केवल प्राकृतिक गैस" तक सीमित कर दिया गया। तीन पीपीए की तुलनात्मक स्थिति सुविधा की दृष्टि से निम्नानुसार दर्शायी गयी है:-

पीपीए दिनांकित **31.03.1997**	पीपीए में संशोधन समझौता दिनांक **18.06.2003**	संशोधन अनुबंध दिनांक **02.05.2007**
"1.1.27) "ईंधनः का अर्थ है गैस, नेप्था, कम सल्फर वाला भारी स्टॉक या भट्ठी का तेल, और इसी तरह का, जिसका उपयोग परियोजना की एक या अधिक इकाइयों द्वारा परियोजना से बिजली उत्पन्न करने के लिए प्राथमिक ईंधन के रूप में किया जाना है या नेप्था की अनुपलब्धता के मामले में वैकल्पिक ईंधन के रूप में उपरोक्त में से	1.1.27) "ईंधनः का अर्थ प्राकृतिक गैस है जिसका उपयोग परियोजना की एक या अधिक इकाइयों द्वारा प्राथमिक ईंधन के रूप में किया जाना है या प्राथिमिक ईंधन की अनुपलब्धता होने की स्थिति में नेप्था या कम सल्फर भारी स्टॉक को वैकल्पिक ईंधन के रुप में।	1.1.27) "ईंधनः का अर्थ केवल प्राकृतिक गैस है।"

कोई भी।		

5. गेल अन्य क्षेत्रों को प्राथमिकता देने के कारण समझौते के तहत गैस की आपूर्ति करने में असमर्थ होने से प्रत्यर्थी को मेसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आर.आई.एल.) से गेल की कीमतों पर प्राकृतिक गैस खरीदने की अनुमति दी गई थी। प्रत्यर्थी ने 07.08.2012 और 27.08.2012 को बिजली पैदा करने के लिए ईंधन के रूप में आर.एल.एन.जी. के उपयोग की अनुमति मांगी। अपीलकर्ता ने 10.09.2012 को यह कहते हुए अनुरोध अस्वीकार कर दिया कि 02.05.2007 के पीपीए के तहत, ईंधन का मतलब "केवल प्राकृतिक गैस" था और इसमें आर.एल.एन.जी. शामिल नहीं था, जिसकी कीमत बहुत अधिक थी, जिससे उससे उत्पन्न बिजली की प्रति यूनिट कीमत प्रभावित हो रही थी जो उपभोक्ताओं के हित में नहीं था।

6. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बसव प्रभु पाटिल ने बताया कि पीपीए के तहत, यह केवल अपने प्राकृतिक रूप में प्राकृतिक गैस थी जिसे बिजली उत्पादन के लिए ईंधन के रूप में उपयोग करने पर सहमति हुई थी। केवल इसलिए कि आर.एल.एन.जी. प्राकृतिक गैस का एक प्रकार हो सकता है, इसे पीपीए के तहत ईंधन की परिभाषा में लाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। आर.एल.एन.जी. की लागत प्राकृतिक गैस की तुलना में तीन से चार गुना अधिक है, आयोग ने सही माना कि यह भी एक प्रासंगिक कारक था जिससे कि आर.एल.एन.जी. को समझौते में शामिल करने के लिए पक्षकारों का कभी आशय नहीं था।

7. 'ईंधन' शब्द, जैसा कि समझौते में परिभाषित किया गया है, को पक्षकारों के आशय के अनुसार केवल प्राकृतिक गैस तक सीमित रखकर इसका प्राकृतिक अर्थ दिया जाना था। आर.एल.एन.जी. को शामिल करने के लिए परिभाषा का विस्तार नहीं किया जा सका, क्योंकि पक्षकारों का कभी भी ऐसा आशय नहीं था। भाषा में ऐसी कोई अस्पष्टता नहीं है जो निहितार्थ या आशय से परिभाषा में शामिल होने की अपेक्षा करती हो। भले ही पक्षकारों के आशय के संबंध में कोई अस्पष्टता हो, सही आशय को इस्तेमाल किए गए शब्दों के स्पष्ट अर्थ से समझा जाना चाहिए, सभी आसपास की परिस्थितियों और दस्तावेजों के साथ पढ़ा जाना चाहिए। आम बोलचाल की भाषा के परीक्षण को लागू करने पर आर.एल.एन.जी. व्यवसाय में प्राकृतिक गैस का पर्याय नहीं था और न ही विनिमेय था, क्योंकि बाद में आवश्यक अतिरिक्त प्रक्रियाओं और आयात सहित परिणामी उच्च लागत शामिल थी, जो कम कीमत पर और घरेलू स्तर पर उपलब्ध प्राकृतिक गैस से अलग थी।

8. पीपीए दिनांक 31.03.1997 के तहत, नेफ्था प्राथमिक ईंधन था और गैस एक वैकल्पिक ईंधन था। खंड 3.3 स्वदेशी और आयात लागत के आधार पर ऊर्जा शुल्क परिभाषित ईंधन की लागत से संबंधित है। पीपीए ने उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ईंधन आपूर्ति समिति द्वारा ईंधन आपूर्ति समझौते को मंजूरी देने पर विचार किया, क्योंकि बिजली उत्पादन की लागत उपभोक्ता के हित में सर्वोपरि थी। नेफ्था की लागत अधिक होने के कारण 18.06.2003 को पीपीए में संशोधन किया गया, जिससे प्राकृतिक गैस को प्राथमिक ईंधन और नेफ्था को वैकल्पिक ईंधन बनाया गया। यदि आर.एल.एन.जी. पक्षकारों के विचार में थी, और इसे प्राकृतिक गैस शब्द के अंतर्गत माना जाना था, तो पीपीए में संशोधनों को मंजूरी देते समय, विशेष रूप से मूल्य अंतर को देखते हुए, आयोग के विचार-विमर्श में इसके बारे में कुछ चर्चा हुई होती। इसके अभाव में यह स्पष्ट होता है कि पक्षकारों का कभी भी प्राकृतिक गैस शब्द में आर.एल.एन.जी. को शामिल करने का आशय नहीं था। दिनांक 02.05.2007 के तीसरे पीपीए में "प्राकृतिक गैस" के बाद "केवल" शब्द के महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। यह इस अहसास के संदर्भ में जरूरी हो गया था कि प्रशासित मूल्य तंत्र और ईंधन आपूर्ति समिति को खत्म करने के परिणामस्वरूप पक्षकारों ने अन्य महंगे वैकल्पिक ईंधन का सहारा लिया होगा।

9. तथ्य यह है कि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 11 के तहत विशेष आदेशों द्वारा या फिर बिजली संकट की गंभीर परिस्थितियों में आर.एल.एन.जी. को 16.04.2009 से 23.04.2009 तक सात दिवस की कम अवधि के लिए उपयोग करने की अनुमति दी जा सकती है और पुनः 15.02.2011 से 31.05.2011 तक की कम अवधि के लिए उपयोग करने के संदर्भ में यह तर्क नहीं दिया जा सकता कि आर.एल.एन.जी. को प्राकृतिक गैस शब्द के भीतर शामिल करने का आशय था। प्राकृतिक गैस से उत्पन्न बिजली की लागत 1.75 रुपये प्रति किलोवाट थी जबकि आर.एल.एन.जी. से उत्पन्न बिजली की लागत 4.63 रुपये प्रति किलोवाट थी और इस कम अवधि के लिए वित्तीय बोझ 427 करोड़ रुपये था। मार्च और अप्रैल में आर.एल.एन.जी. के उपयोग की अनुमति प्रति यूनिट उत्पादन लागत 9/- रुपये थी, जबकि मौजूदा प्राकृतिक गैस के साथ 3/- रुपये प्रति यूनिट थी, जिससे प्रति दिन 3.7 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ा। इन अपवादों को कभी भी यह मानने का मानक नहीं माना जा सकता है कि आर.एल.एन.जी. का उपयोग हमेशा पक्षकारों के चिंतन में था और प्राकृतिक गैस शब्द के भीतर शामिल करने का आशय था। यह तथ्य कि प्रत्यर्थी ने बिजली उत्पादन के लिए आर.एल.एन.जी. का उपयोग करने के लिए 07.08.2012 और 27.08.2012 को अनुमति मांगी थी, यह स्पष्ट करता है कि उसकी समझ के अनुसार भी, आर.एल.एन.जी. को पक्षकारों के आशय के अनुसार प्राकृतिक गैस शब्द में शामिल नहीं किया गया था। अपीलकर्ता ने अपने जवाब दिनांक 10.09.2012 में दोहराया था कि

आर.एल.एन.जी. पीपीए के दायरे में नहीं आता है और प्रति यूनिट बिजली की लागत में अंतर का भी हवाला देते हुए प्राकृतिक गैस तक ही सीमित होना बताया गया था ।

10. एक अनुबंध दस्तावेज़ की व्याख्या उस संदर्भ के संदर्भ में इस्तेमाल की गई भाषा के अनुसार की जानी चाहिए जिसमें इसे तैयार किया गया था। किसी समझौते के संदर्भ से परे तकनीकी दृष्टिकोण को समझौते की पुनर्व्याख्या करने और पक्षकारों के इरादे के संबंध में एक नये निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए नहीं लिया जा सकता है, जिसमें किसी ऐसी चीज को शामिल किया जाना बताया गया जिसे शामिल करने का आशय कभी नहीं था, जो दूसरे को अनुचित लाभ देते हुए, किसी पक्षकार के पूर्वाग्रह को जन्म दे। एक प्राथमिक विचार यह भी होगा कि अनुबंध की शर्तों के बारे में पक्षकारों की समझ और क्या इरादा था, जैसा कि अन्य बातों के साथ-साथ उनके आचरण से परिलक्षित होता है। अनुबंध एक वाणिज्यिक दस्तावेज़ है, इसलिए इसकी प्रभावकारिता को अत्यधिक महत्व दिया जाना चाहिए। श्री पाटिल ने अपने पक्ष समर्थन में पॉलीमैट इंडिया (पी) लिमिटेड और अन्य बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एवं अन्य, 2005 (9) एससीसी 174, गेडेला सच्चिदानंद मूर्ति बनाम उप. आयुक्त, एन्डाउमन्ट विभाग, ए.पी. एवं अन्य, 2007 (5) एससीसी 677, टिम्बलो इरमाओस लिमिटेड, मार्गो बनाम जॉर्ज एनिबल माटोस सिकेरा एवं अन्य, 1977 (3) एससीसी 474, सप्पानी मोहम्मद मोहिदीन और अन्य बनाम आर.वी. सेथुसुब्रमनिया पिल्लई और अन्य, 1974 (1) एससीसी 615, ट्रुटफ सेफ्टी ग्लास इंडस्ट्रीज बनाम बिक्री कर आयुक्त, यूपी, (2007) 7 एससीसी 242, द यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मैसर्स डी.एन. रेवरी एंड कंपनी और अन्य, 1976 (4) एससीसी 147, नाभा पावर लिमिटेड बनाम पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य, 2017 एससीसी ऑनलाइन 1239 और भारत एल्युमीनियम कंपनी बनाम कैसर एल्युमीनियम टेक्निकल सर्विसेज इंक., 2016 (4) एससीसी 126 पर निर्भरता व्यक्त की गई ।

11. प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विकास सिंह ने बताया कि मूल बोली दस्तावेजों में ईंधन के आयात की भी अनुमति थी, और ईंधन टाई अप लिंकेज बोली लगाने वाले की जिम्मेदारी थी। प्रत्यर्थी ने बिजली उत्पादन संयंत्र स्थापित करने में लगभग 1153.10 करोड़ रुपये का निवेश किया, जिसमें से 68.29% फंडिंग बैंकों और वित्तीय संस्थानों से थी। यह संयंत्र पिछले 11 वर्षों में केवल लगभग 64 महीनों तक रुक-रुक कर संचालित हुआ है। आर.एल.एन.जी. के संबंध में उपलब्धता घोषणा को स्वीकार न करने का अपीलकर्ता का आचरण अनुचित था। अपीलकर्ता को गैस की कीमतों में भविष्य में बढ़ोतरी की संभावना के बारे में अच्छी तरह से पता था, और विशेष रूप से यह भी ज्ञान में था कि मुद्रास्फीति सहित प्रशासित मूल्य तंत्र के खत्म होने के बाद, गैस की कीमतें बाजार पर निर्भर हो जायेंगी। इसलिए, केवल इसलिए कि आर.एल.एन.जी. की लागत अधिक थी, यह

तर्क देने का आधार नहीं हो सकता कि इसे कभी भी प्राकृतिक गैस की परिभाषा में शामिल करने का इरादा नहीं था या यह उपभोक्ता के हित के विपरीत था। आर.एल.एन.जी. प्राकृतिक गैस का एक रूप था, जिसे गैसीय से तरल अवस्था में बदलने के लिए संपीड़ित किया जाता था, जिससे सुरक्षित और स्थिर तरीके से परिवहन की सुविधा के लिए मात्रा कम हो जाती थी। एक बार गंतव्य पर पहुंचाने के बाद, इसे पुनः गैसीकृत किया जाता है और फिर उपभोक्ता को आपूर्ति की जाती है। शब्दकोष के अर्थ के अनुसार भी वे एक ही हैं।

12. "प्राकृतिक गैस" के बाद "इस्तेमाल किए जाने का इरादा" शब्दों का विलोपन जैसा कि दूसरे पीपीए में उपयोग किया गया था, और तीसरे पीपीए में "केवल प्राकृतिक गैस" शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित करने से प्राकृतिक गैस शब्द को बहुत व्यापक अर्थ और आयाम मिला ताकि इसके दायरे में आर.एल.एन.जी. को भी लिया जा सके। दिनांक 18.06.2003 के पीपीए में "आयात शुल्क" को हटाने का कोई महत्व नहीं था क्योंकि आर.एल.एन.जी. को पाइपलाइन के माध्यम से परियोजना स्थल पर वितरित किया जाना था, और ईंधन की लागत परियोजना स्थल पर मीटरिंग बिंदु पर होनी थी, जिससे इसमें आयात लागत भी शामिल होगी। जाहिर तौर पर आर.एल.एन.जी. के आयात के लिए गेल द्वारा कोई अलग से शुल्क नहीं लिया जाएगा। जब तक आपूर्ति गेल की कीमतों पर थी, अपीलकर्ता कीमत के संबंध में आपत्ति नहीं उठा सकते।

13. प्राकृतिक गैस शब्द को पीपीए के तहत परिभाषित नहीं किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (इसके बाद "पीएनजीआरबी अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 2(za)(i) में प्राकृतिक गैस की परिभाषा में तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) और आर.एल.एन.जी. दोनों शामिल हैं। अपीलकर्ताओं ने एक से अधिक अवसरों पर 2011, 2012 और 2013 में बिजली उत्पादन के लिए आर.एल.एन.जी. के उपयोग की अनुमति दी थी। यह इस तथ्य का प्रमाण है कि आर.एल.एन.जी. को कभी भी पीपीए के तहत बाहर करने का इरादा नहीं था। जब प्रत्यर्थी ने आर.एल.एन.जी. योजना को चालू करने के लिए अपीलकर्ता को लिखा, तभी अपीलकर्ता ने 27.03.2015 को जवाब दिया और आर.एल.एन.जी. को पीपीए की शर्तों से बाहर होने पर आपत्ति जताई। प्रत्यर्थी ने अपने पत्र दिनांक 07.08.2012 और 27.08.2012 द्वारा आर.एल.एन.जी. के उपयोग के लिए अपीलकर्ता से कभी अनुमति नहीं मांगी थी, लेकिन पीपीए के तहत अन्यथा क्या अनुमति थी, इसके बारे में केवल सूचना दी थी। प्रशासित मूल्य तंत्र और ईंधन आपूर्ति समिति के ख़त्म होने के बाद, अपीलकर्ता की सहमति या अनुमोदन की कोई आवश्यकता नहीं थी।

14. अपीलकर्ता ने स्वयं एक से अधिक अवसरों पर आर.एल.एन.जी. के उपयोग की अनुमति दी है, वह इसके बहिष्कार का विरोध नहीं कर सकता है, खासकर जब समझौता स्पष्ट रूप से इसके समावेशन का संकेत देता है। वैकल्पिक रूप से, एक से अधिक अवसरों पर इसके उपयोग की अनुमति देकर अपीलकर्ता की ओर से छूट दी गई थी। अपीलकर्ता को अनुमोदन और पुनर्मूल्यांकन की अनुमति नहीं दी जा सकती। प्राकृतिक गैस को एसोसिएशन प्राकृतिक गैस एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य, 2004 (4) एससीसी 489। में परिभाषित किया गया था। यह दलील कि आर.एल.एन.जी. द्वारा उत्पादित बिजली अधिक महंगी होगी और उपभोक्ता के हित में नहीं है, इस तथ्य से गलत साबित होती है कि वर्तमान में अपीलकर्ता उच्च दर पर बिजली खरीद रहा है। महानिदेशक, पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण सेल ने 01.04.2016 से 31.09.2016 की अवधि के लिए गहरे पानी, अति-गहरे पानी और उच्च दबाव-उच्च तापमान क्षेत्रों में खोजों से उत्पादित होने वाली गैस के लिए मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता सहित विपणन के लिए मूल्य जीसीवी आधार पर $6.61/एमएमबीटीयू तय कर दिया है। 05.05.2016 को, प्रत्यर्थी ने अपीलकर्ता को पत्र लिखकर जानकारी दिया कि गेल ने सूचित किया था कि ओएनजीसी ने केजी बेसिन में अपने गहरे पानी के फिल्टर-एस 1 और वीए क्षेत्रों से 6.3$/एमएमबीटीयू की दर पर गैस की उपलब्धता का संकेत दिया है, जबकि इसे पीपीए से परे होने के नाते स्वीकार नहीं किया गया।

15. हमने पक्षकारों की ओर से प्रस्तुतियों पर विचार किया है, और अपीलीय न्यायाधिकरण के निष्कर्षों से सहमत नहीं हैं।

16. मूल पीपीए दिनांक 31.03.1997, जिसमें नेफ्था को बिजली उत्पादन के लिए प्राथमिक ईंधन के रूप में उपयोग करने का प्रावधान किया गया था और गैस एक वैकल्पिक ईंधन था। आयात की भी अनुमति थी। कीमत ईंधन आपूर्ति समिति द्वारा तय की जानी थी, इसे उचित बनाए रखने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमेशा सस्ता विकल्प इस्तेमाल किया जाए। मार्च 2000 में, लागत कारक के कारण, आंध्र प्रदेश सरकार ने गैस को प्राथमिक ईंधन के रूप में बदलने का निर्णय लिया, और नेफ्था को एक वैकल्पिक ईंधन बनाया गया, जिसके परिणामस्वरूप पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा प्राकृतिक गैस का आवंटन किया गया और प्रत्यर्थी और गेल दोनों के बीच एक समझौते का निष्पादन हुआ। 18.06.2003 को पीपीए में संशोधन किया गया और गैस को प्राथमिक ईंधन बना दिया गया। इसके बाद, जब सेक्टर प्राथमिकता के कारण गेल प्रत्यर्थी को प्राकृतिक गैस की आवंटित मात्रा की आपूर्ति करने में असमर्थ थी, तो प्रत्यर्थी को आरआईएल से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति प्राप्त करने की अनुमति दी गई थी। यह एहसास कि इन परिस्थितियों में, उत्पादक अन्य महंगे ईंधन का भी उपयोग कर सकता

है, 02.05.2007 के तीसरे संशोधित पीपीए के कारण 'ईंधन' की परिभाषा को "केवल प्राकृतिक गैस" तक सीमित कर दिया गया।

17. यह ध्यान देना प्रासंगिक है कि पीपीए में संशोधन के दोनों चरणों में, आंध्र प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 1998 की धारा 21(5) के तहत आयोग के समक्ष कार्यवाही में, पक्षकारों ने कभी भी आर.एल.एन.जी. की उपलब्धता का उल्लेख नहीं किया, ईंधन पर "प्राकृतिक गैस" शब्द के अंतर्गत विचार किया गया और चर्चा "केवल प्राकृतिक गैस" तक ही सीमित थी। यदि पक्षकारों का इरादा कुछ और होता, या प्रत्यर्थी के मन में ऐसा कोई विचार होता कि आर.एल.एन.जी. प्राकृतिक गैस का एक प्रकार है और इसके परिणामस्वरूप प्राकृतिक गैस की तुलना में इसकी उपलब्धता के साथ इसमें शामिल होने का इरादा है, तो निश्चित रूप से यह चर्चा में शामिल होता। आयोग के समक्ष. आर.एल.एन.जी. के आयात के साथ इसकी अनुपस्थिति, 18.06.2003 के पीपीए में आयात खंड का विलोपन, आर.एल.एन.जी. की उच्च कीमत, अपरिहार्य निष्कर्ष की ओर ले जाती है कि यह पक्षकारों के विचार में कभी नहीं था कि आर.एल.एन.जी. इसे "प्राकृतिक गैस" शब्द में शामिल किया जाना था, भले ही यह उसी का एक प्रकार हो। इसका कारण यह है कि यदि लागत कारक के कारण नेफ्था को प्राथमिक ईंधन के रूप में हटा दिया गया था और पीपीए के दूसरे संशोधन में एक वैकल्पिक ईंधन बनाया गया था, तो लागत कारक के बावजूद आर.एल.एन.जी. को "केवल प्राकृतिक गैस" की अवधारणा में शामिल करने का प्रश्न तर्क की कसौटी पर खरा नहीं उतरता।

18. एक गलत प्रश्न अनिवार्य रूप से गलत उत्तर की ओर ले जाएगा। वर्तमान में विचार का प्रश्न यह नहीं है कि क्या आर.एल.एन.जी. प्राकृतिक गैस का एक रूप है, बल्कि यह है कि क्या पक्षकारों का इरादा कीमत को ध्यान में रखते हुए घरेलू बाजार से अपने प्राकृतिक रूप में प्राकृतिक गैस को छोड़कर किसी भी प्रकार के गैसीय ईंधन को अनुबंध के दायरे से बाहर करने का है, जो अंततः उपभोक्ता के लिए बिजली की प्रति यूनिट कीमत निर्धारित करता । पीपीए एक तकनीकी वाणिज्यिक दस्तावेज़ है। इसका मसौदा व्यवसाय से परिचित व्यक्तियों द्वारा तैयार किया गया है। समझौते में प्रयुक्त आर.एल.एन.जी. और प्राकृतिक गैस पर्यायवाची या विनिमेय नहीं हैं। अनुबंध की व्याख्या के लिए व्यावसायिक प्रभावकारिता के सिद्धांत को भी ध्यान में रखना होगा। पक्षकारों के मन में समझौते की प्रकृति के संबंध में उसके वास्तविक दायरे और अर्थ को समझने के लिए पहले समझौते की शर्तों को पढ़ना होगा। इसमें किसी भी शब्द को बाहर करना सुरक्षित नहीं होगा। खरदाह कंपनी लिमिटेड बनाम रेमन एंड कंपनी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, 1963 (3) एससीआर 183 में अनुबंध की व्याख्या के संबंध में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है-

"18. ... हम इस बात से सहमत हैं कि जब एक अनुबंध को लिखित रूप में सीमित कर दिया गया है तो हमें पक्षकारों के बीच समझौते की शर्तों को सुनिश्चित करने के लिए केवल उस लेखन को देखना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह केवल वही है जो स्पष्ट रूप से और इसी तरह निर्धारित किया गया है दस्तावेज़ में कई शब्द हैं जो पक्षकारों के बीच अनुबंध की शर्तों का गठन कर सकते हैं। यदि दस्तावेज़ को समग्र रूप से पढ़ने पर, उसमें वास्तव में उपयोग किए गए शब्दों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पक्षकार किसी विशेष शर्त पर सहमत हैं, तो कानून में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उन्हें उस शर्त को स्थापित करने से रोकता है। किसी अनुबंध की शर्तों को जो व्यक्त किया गया है उससे व्यक्त या निहित किया जा सकता है। अनुबंध के निर्वचन का प्रश्न अंतिम विश्लेषण में है, और फिर यह अच्छी तरह से स्थापित है कि अनुबंध के निर्वचन के समय आसपास की परिस्थितियों को ध्यान में रखना होगा... "

19. अनुबंध की व्याख्या करने का यह सुरक्षित तरीका नहीं होगा कि एक ही परिभाषित ईंधन के एक खंड को चुनकर तकनीकी वैज्ञानिक अर्थ को लागू किया जाये जैसा कि टूटुफ सेफ्टी ग्लास इंडस्ट्रीज (उपरोक्त) के मामले में पाया गया है और फिर आर.एल.एन.जी. को प्राकृतिक ईंधन का एक रूप मानते हुए ईंधन की परिभाषा में निहित रूप से शामिल करने के संबंध में पक्षकारों के आशय के संबंध में निष्कर्ष निकालना। अनुबंध की शर्तों को पक्षकारों के इरादे के संबंध में उनका स्पष्ट अर्थ दिया जाना चाहिए कि क्या शामिल करने का इरादा था और क्या शामिल करने का इरादा नहीं था, जो कि एक स्पष्ट बहिष्करण से अलग है। व्यावसायिक भाषा का परीक्षण भी करना होगा कि क्या व्यवसाय से जुड़े लोग गैस के दो रूपों को पर्यायवाची और विनिमेय मानते हैं। आर.एल.एन.जी. के आयात, इसमें शामिल अतिरिक्त प्रक्रियाओं और परिणामस्वरूप शामिल उच्च लागत को देखते हुए स्पष्ट रूप से उत्तर नकारात्मक होना चाहिए।

20. किसी भी अस्पष्टता के उत्पन्न होने की स्थिति में, पक्षकारों के वास्तविक इरादे तक पहुंचने के लिए, आदान-प्रदान किए गए पत्राचार सहित सभी आसपास के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अनुबंध की शर्तों की व्याख्या करनी होगी, न कि इस आधार पर कि पक्षकरों में से किसी एक पक्ष द्वारा बाद में यह कहना कि उसका ऐसा आशय था और यह कहना कि यह शामिल था, जैसा कि बैंक ऑफ इंडिया और अन्य बनाम के. मोहनदास एवं अन्य, (2009) 5 एससीसी 313: में अभिनिर्धारित किया गया है।

"28. किसी अनुबंध का वास्तविक निर्वचन प्रयुक्त शब्दों के उपयोग पर निर्भर होना चाहिए, न कि इस पर कि पक्षकार बाद में क्या कहना चाहते हैं या अनुबंध के निष्पादन में पक्षकारों के बाद के आचरण अनुबंध में प्रयुक्त स्पष्ट और स्पष्ट शब्दों के वास्तविक प्रभाव को प्रभावित करते हैं। पक्षकारों के इरादे का पता उनके द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा से लगाया जाना चाहिए, आसपास की परिस्थितियों और अनुबंध के उद्देश्य के मद्देनजर विचार किया जाना चाहिए। अनुबंध की प्रकृति और उद्देश्य पक्षकारों के इरादे का पता लगाने में एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शिका है।

21. प्रत्यर्थी के दिनांक 07.08.2012 और 27.08.2012 के पत्र इस समझ के लिए अत्यंत प्रासंगिक हो जाते हैं कि यह स्वयं किसी गलतफहमी में नहीं था कि आर.एल.एन.जी. को अनुबंध के तहत प्राकृतिक गैस की परिभाषा में शामिल करने का कभी इरादा नहीं था। पूर्व में, प्रत्यर्थी ने लिखा, "हम आर.एल.एन.जी. के उपयोग और परिणामी टैरिफ वृद्धि के लिए कानून के अनुसार आवश्यक सहमति, यदि कोई हो, प्राप्त करने के लिए इसे आगे बढ़ाने के लिए आपके कार्यालय से पुष्टि की प्रतीक्षा कर रहे हैं।" प्रत्यर्थी ने फिर से केजी-डी6 बेसिन से गैस की कमी को पूरा करने के लिए आर.एल.एन.जी. का उपयोग करने की अनुमति मांगी तथा इसके उपयोग को स्वीकार करने का अनुरोध किया। प्रत्यर्थी का यह तर्क कि ये केवल सूचनाएं थीं और आर.एल.एन.जी. का उपयोग करने की अनुमति के लिए अनुरोध नहीं था, उनमें इस्तेमाल की गई स्पष्ट भाषा से गलत दर्शित होता है। अपीलकर्ता ने अपने उत्तर दिनांक 10.09.2012 में स्पष्ट रूप से कहा कि समझौते के तहत प्राकृतिक गैस के अलावा किसी अन्य ईंधन का उपयोग नहीं किया जा सकता है और प्राकृतिक गैस से 3/- रुपये प्रति यूनिट की तुलना में आर.एल.एन.जी. से प्रति यूनिट बिजली 9-10 रुपये की लागत का हवाला देते हुए आर.एल.एन.जी. आपूर्ति के लिए स्पॉट सप्लाई समझौते को स्वीकार करने से इनकार करते हुए ईंधन की परिभाषा में आर.एल.एन.जी. पर कभी विचार नहीं किया गया था। इसके बाद ही प्रत्यर्थी ओपी संख्या 20/2013 में आयोग गया। प्रत्यर्थी के अभिवचन जैसा कि इसके बाद उद्धृत किया गया है, अपनी समझ की पुष्टि करता है कि आर.एल.एन.जी. को कभी भी ईंधन की परिभाषा में शामिल करने का इरादा नहीं था वह केवल प्राकृतिक गैस तक ही सीमित था:-

"9. चूंकि उपरोक्त परिदृश्य याचिकाकर्ता की उत्पादन गतिविधियों को प्रभावित करता है, इसलिए याचिकाकर्ता ने आर.एल.एन.जी. का उपयोग करने का प्रस्ताव रखा। इस संबंध में, याचिकाकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 7.8.2012 और 27.8.2012 (क्रमशः अनुलग्नक पी-2 और पी-3 के रूप में प्रस्तुत) के माध्यम से प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3 को पहले ही अभ्यावेदन दे दिया

है। इन दोनों पत्रों में, याचिकाकर्ता ने उक्त उत्तरदाताओं से आर.एल.एन.जी. के उपयोग की अनुमति देने की अपील की और याचिकाकर्ता के उक्त अनुरोध के लिए परिस्थितियों/कारणों की पुष्टि की।

10. याचिकाकर्ता अत्यधिक आश्चर्य एवं चकित हुआ, याचिकाकर्ता के उपरोक्त अनुरोधों को स्वीकार करने के बजाय, प्रत्यर्थी संख्या 3 ने अपने पत्र दिनांक 10.09.2012 के माध्यम से याचिकाकर्ता के उपरोक्त अनुरोध को अस्वीकार कर दिया।

22. बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 11 के तहत उचित आदेशों के बाद, छोटी अवधि के लिए, दबाव वाली परिस्थितियों में एक या दो अवसरों पर आर.एल.एन.जी. का छिटपुट उपयोग, अपवाद को यह मानने का मानक नहीं बना सकता है कि आर.एल.एन.जी. को ईंधन शब्द में शामिल किया गया था या कि अपीलकर्ता इसके उपयोग के लिए सहमत हो गया था। मामले के तथ्यों में अपीलकर्ता द्वारा छूट का सवाल या एप्रोबेट और रिप्रोबेट के सिद्धांत को लागू करने का सवाल ही नहीं उठता।

23. उचित कीमत के ईंधन से उत्पन्न बिजली की खरीद के लिए वर्तमान अनुबंध था ताकि उपभोक्ता के हित में उससे उत्पन्न बिजली की लागत को नियंत्रित रखा जा सके। निस्संदेह, अपीलकर्ता के मस्तिष्क में ईंधन की लागत एक प्राथमिक विचार था। जिस प्रासंगिक पृष्ठभूमि में पीपीए मूल रूप से बनाया गया था, उसके बाद के संशोधन, समझौते के प्रत्यर्थी की समझ, जैसा कि उसके स्वयं के संचार और अभिवचनों से परिलक्षित होता है, यह बेहद प्रासंगिक बनाता है कि इस सवाल की एक प्रासंगिक व्याख्या दी जाए कि क्या आर.एल.एन.जी. को कभी "प्राकृतिक गैस" शब्द के अंतर्गत शामिल करने का इरादा था। जैसा कि बिहार राज्य विद्युत बोर्ड बनाम ग्रीन रबर इंडस्ट्रीज, (1990) 1 एससीसी 731 में अभिनिर्धारित किया गया-

> "23.... प्रत्येक अनुबंध पर उसके उद्देश्य और उसकी संपूर्ण शर्तों के संदर्भ में विचार किया जाना चाहिए और तदनुसार पक्षकारों के इरादे समझने के प्रयास में पूरे संदर्भ पर विचार किया जाना चाहिए, भले ही जांच का तत्काल उद्देश्य पृथक उपवाक्य का अर्थ हो..."

24. वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि आयोग के समक्ष प्रत्यर्थी द्वारा कार्यवाही शुरू करने तक पक्षकार के आचरण और व्यवहार से स्पष्ट था कि आर.एल.एन.जी. को पीपीए के तहत "प्राकृतिक गैस" शब्द में शामिल नहीं करना था। गेडेला सच्चिदानंद मूर्ति (उपरोक्त) की टिप्पणियों को वर्तमान मामले के तथ्यों में उपयुक्त माना जाता है: -

"32... जिस सिद्धांत पर मिस रिच भरोसा करती है वह लॉर्ड डेनिंग, एम.आर. द्वारा समामेलित निवेश और संपत्ति कंपनी लिमिटेड बनाम टेक्सास-कॉमर्स इंटरनेशनल बैंक लिमिटेड में तैयार किया गया है,

'यदि किसी अनुबंध के पक्ष, अपने व्यवहार के अनुसार, उसकी शर्तों पर एक विशेष व्याख्या रखते हैं - जिसके विश्वास पर उनमें से प्रत्येक - दूसरे के ज्ञान के लिए कार्य करता है और अपने पारस्परिक मामलों का संचालन करता है - तो वे इससे बंधे होते हैं यह व्याख्या बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि उन्होंने इसे अनुबंध के एक रूपांतर के रूप में लिखा हो। इस जांच की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती कि उनकी विशेष व्याख्या सही है या नहीं - या उनसे गलती हुई है या नहीं - या क्या उनके मन में मूल शर्त थे या नहीं। यह पर्याप्त है कि उन्होंने अपने व्यवहार के अनुसार, अपने अनुबंध पर अपनी व्याख्या रखी है, और उन्हें इससे पीछे हटने की अनुमति नहीं दी जा सकती।'

(जोर दिया गया)"

25. एक वाणिज्यिक दस्तावेज़ की व्याख्या इस तरह से नहीं की जा सकती है कि मूल रूप से पक्षकारों के इरादे से पूरी तरह से भिन्न हो। ऐसी स्थिति पर केवल तभी विचार किया जा सकता है जब अनुबंध की शर्तों को प्रभावोत्पादक बनाने के लिए निहित शर्त को आवश्यक माना जा जावे। यदि अनुबंध पक्षकारों के वास्तविक आशय के संबंध में अपने स्पष्ट अर्थ पर व्याख्या करने में सक्षम है, तो व्यवसाय प्रभावकारिता के संबंध में, पक्षकार की समझ अनुसार या अदालत द्वारा निहित शर्तों को पढ़ना विवेकपूर्ण नहीं होगा, जैसा कि सत्या जैन (मृत) द्वारा वारिसान एवं अन्य. अनीस अहमद रुश्दी (मृत) द्वारा वारिसाान एवं अन्य. (2013) 8 एससीसी 131 में अभिनिर्धारित किया गया है:-

"33. व्यावसायिक प्रभावकारिता के सिद्धांत को आम तौर पर किसी समझौते या अनुबंध में एक शब्द को पढ़ने के लिए लागू किया जाता है ताकि विवेकपूर्ण व्यवसायी के रूप में कार्य करने वाले पक्षों द्वारा इच्छित निष्कर्ष या परिणाम प्राप्त किया जा सके। व्यावसायिक प्रभावकारिता का अर्थ है इच्छित परिणाम उत्पन्न करने की शक्ति। व्यावसायिक प्रभावकारिता का उत्कृष्ट परीक्षण लॉर्ड जस्टिस बोवेन, एल.जे. द्वारा मूरकॉक में प्रस्तावित किया गया था। इस परीक्षण के लिए आवश्यक है कि शर्त केवल तभी निहित हो सकता है जब वह अनुबंध को व्यावसायिक प्रभावकारिता देना आवश्यक हो ताकि ऐसी विफलता से बचा जा सके जो कि सम्यक व्यवसायियों का आशय नहीं था। लेकिन तब केवल सबसे सीमित शर्त ही निहित होना

चाहिए - इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए न्यूनतम। यदि अनुबंध बिना शर्त के व्यावसायिक समझ के योग्य है तब अदालतें इसका अर्थ नहीं निकालेंगी। बोवेन, एल.जे. ने मूरकॉक (उपरोक्त) में व्यक्त मत निम्नलिखित है:-

"...इस तरह के व्यवसायिक लेन-देन में, निहितार्थ से कानून जो प्रभाव डालना चाहता है वह लेन-देन को ऐसी व्यावसायिक प्रभावकारिता देना है जो कि दोनों पक्षों द्वारा, जो व्यवसायी हैं, सभी परिस्थितियों में इरादा किया जाना चाहिए; लेन-देन के सभी खतरों को एक पक्ष पर नहीं थोपना और न ही विफलता की सभी संभावनाओं से एक पक्ष को मुक्त करना, बल्कि प्रत्येक पक्ष को सभी परिस्थितियों में कानून में उतना ही वादा करना, जितना कि दोनों के चिंतन में होना चाहिए। उन खतरों या अवसरों के संबंध में उन्हें जिन पक्षों के लिए जिम्मेदार होना चाहिए।"

34. हालांकि एक पूरी तरह से अलग संदर्भ में, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम मनुभाई धर्मसिंहभाई गजेरा और अन्य में इस अदालत ने उन परिस्थितियों पर विचार किया जब किसी समझौते में एक अव्यक्त शर्त को पढ़ना इस आधार पर उचित होगा कि ऐसी शर्त का आशय हमेशा और स्पष्ट रूप से पक्षकारों द्वारा और उनके बीच था। इस संबंध में कुछ विदेशी न्यायक्षेत्रों में न्यायालयों द्वारा व्यक्त की गई कुछ टिप्पणियों को इस न्यायालय ने रिपोर्ट के पैरा 51 में पाया, चूंकि यह वर्तमान मामले में लागू हो सकता है, इसलिए उक्त टिप्पणियों का उल्लेख किया जा रहा है:-

"51. .....प्रथम दृष्टया, जो किसी भी अनुबंध में निहित होना रह गया है और जिसे व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है, वह इतना स्पष्ट हो कि इसे कहने की आवश्यकता नहीं है; ताकि, जब पक्षकार अपना सौदा कर रही हों, तो एक अफिसियस बायस्टैंडर समझौते में इसके लिए कुछ स्पष्ट प्रावधान का सुझाव दे, तो वे उसे एक सामान्य 'ओह, बिल्कुल!' के साथ दबा देंगे।'' शिरलॉ बनाम सदर्न फाउंड्रीज (1926) लिमिटेड,

* *

"एक व्यक्त शर्त निहित हो सकता हे यदि अदालत को पता चलता है कि पक्षकारों का उस शर्त को अपने अनुबंध का हिस्सा बनाने का आशय था: अदालत के लिए यह पता लगाना पर्याप्त नहीं है कि इस तरह के शर्त को पक्षकारों द्वारा सम्यक व्यक्तियों के रुप में अपनाया गया होता यदि इसका सुझाव दिया गया होता: यह एक ऐसा शर्त रहा होगा जो बिना कहे चल

सकता है, अनुबंध को व्यावसायिक प्रभावकारिता देने के लिए आवश्यक शर्त, एक ऐसा शर्त जो मौन होते हुए भी अनुबंध का हिस्सा बना, जिसे पक्षकारों ने अपने लिए बनाया, ट्रोलोप एंड कोल्स लिमिटेड बनाम नॉर्थ वेस्ट मेट्रोपॉलिटन रीगल अस्पताल बोर्ड.

"35. इसलिए, व्यावसायिक प्रभावकारिता परीक्षण केवल उन मामलों में लागू किया जाना चाहिए जहां जिस शर्त को निहित रूप में पढ़ा जाना है वह ऐसा है जो समझौते के समय पक्षकारों का स्पष्ट आशय था..."

26. पीएनजीआरबी अधिनियम की धारा 2(za)(i) में प्राकृतिक गैस की परिभाषा की वर्तमान विवाद से कोई प्रासंगिकता नहीं है क्योंकि यह अधिनियम पेट्रोलियम उत्पादों के शोधन, प्रसंस्करण, वितरण और विपणन की देखरेख और विनियमन करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था। इसी प्रकार, विधायी प्रविष्टि के संबंध में विवाद के संदर्भ में एसोसिएशन ऑफ नेचुरल गैस (उपरोक्त) में की गई टिप्पणी का पीपीए की व्याख्या से कोई प्रासंगिकता नहीं है।

27. इसलिए, उपरोक्त चर्चा इस अपरिहार्य निष्कर्ष पर पहुंचती है कि समय-समय पर संशोधित समझौते के तहत पक्षकारों का इरादा उचित मूल्य के ईंधन से बिजली पैदा करना था, ताकि अंततः उपभोक्ताओं को उचित दर पर बिजली उपलब्ध कराई जा सके। इसलिए, प्राकृतिक गैस के रूप में ईंधन का विकल्प केवल प्राकृतिक गैस तक ही सीमित समझा जाना चाहिए। प्रत्यर्थी अच्छी तरह से जानता था कि आर.एल.एन.जी. को प्राकृतिक गैस की परिभाषा में शामिल करने का आशय कभी नहीं था जैसा कि पक्षकारों ने समझा, भले ही यह प्राकृतिक गैस का एक प्रकार हो सकता है।

28. इसलिए, अपील स्वीकार की जाती है तथा अपीलीय न्यायाधिकरण के फैसले को अपास्त किया जाता है एवं आयोग के आदेश दिनांक 08.08.2013 की पुष्टि की जाती है।

अपील स्वीकृत

आनंद प्रकाश दीक्षित